रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236963 CG-DL-E-01072022-236963

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840] No. 2840] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

(सं. 14 / 2015-2020)

विषय: आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची—2 के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

का. आ. 2985(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015—20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची—2 के अध्याय 27 के एचएस कोड्स 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति को संशोधित करती है:

क्र.सं.	एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
113 क	2710 12 41	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021 अथवा आईएस 17076 के अनुरुप—मोटर गेसोलीन मानक आईएस 2796 के अनुरुप	मुक्त	निर्यातक को निर्यात करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को स्व–घोषणा प्रस्तुत करना

4391 GI/2022 (1)

क्र.सं.	एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
	2710 12 42	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021 अथवा आईएस 17076 के अनुरुप—ई20 ईंधन मानक आईएस 17021 के अनुरुप		अपेक्षित है जिसमें पुष्टि की जाए कि शिपिंग बिल में उल्लिखित मात्रा का 50 प्रतिशत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में आपूर्ति की गई है/की जाएगी।
	2710 12 43	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021, आईएस 17586 अथवा आईएस 17076 के अनुरुप—ई12 ईंधन मानक आईएस 17586 के अनुरुप		तथापि नेपाल और भूटान को इस शर्त से छूट प्रदान की गई है। इसी तरह यह शर्त 100 प्रतिशत ईओयू और एसईजेड की इकाईयों पर लागू नहीं है।
	2710 12 44	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021, आईएस 17586 अथवा आईएस 17076 के अनुरुप—ई15 ईंधन मानक आईएस 17586 के अनुरुप		ऐसे निर्यातकों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को तिमाही रिर्टन भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
	2710 12 49	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021 अथवा आईएस 17076 के अनुरुप—एम15 ईंधन मानक आईएस 17076 के अनुरुप		
113 ख	27101941	गैस आयल तथा गैस आयल से प्राप्त ऑयलः गैस आयल	मुक्त	निर्यातक को निर्यात करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को स्व—घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें पुष्टि की जाए कि शिपिंग बिल में उल्लिखित मात्रा का 30 प्रतिशत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में
	27101944	गैस ऑयल और गैस ऑयल से प्राप्त ऑयल:—ऑटोमोटिव डिजल फ्यूअल, जिसमें बायोडीजल न हो, आईएस 1460 मानक की पुष्टि करता हो। गैस ऑयल और गैस ऑयल से प्राप्त ऑयल:—		
	27101949	आईएस 16861 मानक की पुष्टि करने वाले हाई फ्लाश हाई स्पिड डीजल फ्यूअल		आपूर्ति की गई है/की जाएगी। तथापि नेपाल और भूटान को इस शर्त से छूट प्रदान की गई है।
				इसी तरह यह शर्त 100 प्रतिशत ईओयू और एसईजेड की इकाईयों पर लागू नहीं है।
				ऐसे निर्यातकों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को तिमाही रिर्टन भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपर्युक्त उल्लिखित एचएस कोडों के तहत मदों के निर्यात हेतु नीतिगत शर्त को शामिल किया जाता है।

[फा. सं. 01 / 91 / 180 / 21 / एएम18 / ईसी / खण्ड $-\mathrm{II}$ / ई-18994]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

(No. 14/2015-2020)

Subject: Amendment in Export Policy of items under HS Codes 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 and 27101949 of Chapter 27 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy.

S.O. 2985(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends the Export Policy of items under HS Codes27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 and 27101949 of Chapter 27 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy:

S.No.	HS Codes	Description	Export Policy	Policy Condition
113A	2710 12 41	Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021 or IS 17076Motor gasoline conforming to standard IS 2796	Free	The exporter is required to submit a self – declaration to the concerned Customs
	2710 12 42	Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021 or IS 17076 E20 fuel conforming to standard IS 17021		authority at the time of export confirming that
	2710 12 43	Motor gasoline conforming to standard IS 2796,IS 17021, IS 17586 orIS 17076: E 12 fuel conforming to standard IS 17586		50% of quantity mentioned in the Shipping Bill has been/will be supplied in
	2710 12 44	Motor gasoline conforming to standard IS 2796,IS 17021, IS 17586 or IS 17076: E 15 fuel conforming to standard IS 17586		the domestic market during the current financial year.
	2710 12 49	Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021 or IS 17076M15 fuel conforming to standard IS 17076		However, export to Bhutan and Nepal is exempted from this condition.
				Similarly, this condition is not applicable to 100% EoUs and units in SEZs.
				Such exporters are also required to file a quarterly return to the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG).
113 B	2710 19 41	Gas oil and oils obtained from gas oil: Gas Oil	Free	The exporter is required to submit a self – declaration to the
	2710 19 44	Gas oil and oils obtained from gas oil: Automotive diesel fuel, not containing biodiesel, conforming to standard IS1460		concerned Customs authority at the time of export confirming that
	2710 19 49	Gas oil and oils obtained from gas oil: High flash high speed diesel fuel conforming to standard IS 16861		30% of quantity mentioned in the Shipping Bill has been/will be supplied in the domestic market during

S.No.	HS Codes	Description	Export Policy	Policy Condition
				the current financial year.
				However, export to Bhutan and Nepal is exempted from this condition.
				Similarly, this condition is not applicable to 100% EoUs and units in SEZs.
				Such exporters are also required to file a quarterly return to the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG).

2. <u>Effect of this Notification:</u>

Policy condition incorporated against export of items under the above mentioned HS codes.

[F.No. 01/91/180/21/AM18/EC/Vol-II/E-18994]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.